

मेसर्स औरम रियल एस्टेट डेवेलपर्स लिमिटेड - सेज़, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे-बेलापुर रोड, घनसोली, नवी मुंबई, के क्षेत्र विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की 64वीं बैठक का कार्यवृत्त, विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में 24.03.2026 को सम्मेलन कक्ष, द्वितीय तल, विकास आयुक्त का कार्यालय, सीपज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई में आयोजित किया गया।

Minutes of 64th Meeting of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone of M/s. Aurum Real Estate Developers Ltd. - SEZ, TTC Industrial Area, Thane-Belapur Road, Ghansoli, Navi Mumbai, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on 24.03.2026, at Conference Hall, 2nd Floor, The Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai

1. Name of the SEZ : M /s. Aurum Real Estate Developers Ltd.
 2. Sector : IT/ITES
 3. Meeting No. : 64th
 4. Date : 24.03.2026

उपस्थित सदस्य / Members Present:

क्र. Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्री. मयूर आर. मानकर Shri. Mayur R. Mankar	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ
2	श्री. सुनील अघवाने Shri. Sunil Aghawane	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner, Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai
3	श्री. संदीप डी. भोसले Shri. Sandip D. Bhosale	उप विकास आयुक्त Deputy Development Commissioner	सीपज़-सेज़ SEEPZ –SEZ
4	श्री बैकियावेलु मुथारासु Shri. Backiyavelu Mutharasu	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai
5	श्री बीरेंद्र सिंह Shri Birender Singh	उप आयुक्त, सीमा शुल्क / Deputy Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती / Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar
6	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उद्योग उपनिदेशक Deputy Director of Industries	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिती Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra
7	श्रीमती स्मिता नाम्बियार Smt. Smitha Nambiar	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	औरम-सेज़ AURUM–SEZ
8	श्री जय मनोज शाह Shri. Jay Manoj Shah	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़ SEEPZ –SEZ

बैठक में सहायता और सुचारू कामकाज के लिए श्री हनिश राठी, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री सुदर्शन शिंदे, एडीसी (न्यू एसईजेड) और श्री पलाश शंकर, एडीसी (सीपज़-सेज़) भी शामिल हुए।

कार्यसूची मद संख्या 01: -

दिनांक 30.10.2025 को आयोजित 63वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 30.10.2025 को आयोजित 63वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद संख्या 02: -

मेसर्स फिज़िशियन्स इंटरएक्टिव इंडिया प्रा. लि. की कैफेटेरिया के नियमितीकरण हेतु आवेदन।

मेसर्स फिज़िशियन्स इंटरएक्टिव इंडिया प्रा. लि. ने ऑरम-SEZ में स्थित अपनी SEZ यूनिट में कैफेटेरिया स्थापित करने हेतु अनुमति के लिए आवेदन किया था।

यूनिट ने यह बताया है कि कैफेटेरिया बिना किसी विक्रेता की भागीदारी के संचालित होगा तथा कैफेटेरिया के भीतर लाइव कुकिंग की अनुमति नहीं होगी। यह सुविधा केवल कर्मचारियों द्वारा घर से लाया गया भोजन उपभोग करने के लिए ही निर्धारित होगी।

सुविधा को सुगम बनाने हेतु चाय एवं कॉफी के वेंडिंग मशीन स्थापित किए जाएंगे, साथ ही घर से लाए गए भोजन को गरम करने के लिए माइक्रोवेव की व्यवस्था भी होगी।

Shri Hanish Rathi, ADC (NEW SEZ), Shri Soodershan Shindde, ADC (New SEZ), and Shri Palash Shankar, ADC (SEEPZ-SEZ) also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

Agenda Item No. 01: -

Confirmation of Minutes of the 63rd Meeting held on 30.10.2025.

The Minutes of the 63rd Meeting held on 30.10.2025 were confirmed with consensus.

Agenda Item No. 02: -

Application for regularization of cafeteria of M/s. Physicians Interactive India Pvt. Ltd.

M/s. Physicians Interactive India Pvt. Ltd. had applied for permission for setting up a Cafeteria in their SEZ Unit located at Aurum-SEZ.

The unit has stated that the cafeteria will operate without the involvement of vendors and live cooking will not be permitted within the cafeteria. The facility is exclusively designated for employees to consume food brought from their homes.

To facilitate convenience, tea and coffee vending machines will be installed, accompanied by a microwave for heating home-prepared meals.

इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि वे SEZ अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत उपलब्ध किसी भी शुल्क लाभ का दावा नहीं करेंगे। इस संदर्भ में, उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें कैफेटेरिया स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जिसका उपयोग विशेष रूप से SEZ यूनिट के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

निर्णय: - विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के अनुसार औरम-SEZ में स्थित मेसर्स फिजिशियन्स इंटरएक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के SEZ यूनिट में कैफेटेरिया स्थापित करने हेतु उनके आवेदन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई।

Further, they undertake that they will not be available any duty benefits available under SEZ Act and rules made there under. In this connection, they requested to grant them approval to establish Cafeteria which will be used exclusively for employees of SEZ unit.

Decision: - After deliberation, the Committee approved the application of M/s. Physicians Interactive India Private Limited located at AURUM-SEZ for setting up a cafeteria within their SEZ unit as per Instruction No. 95 dated 11.06.2019.

Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

Shri. Dnyaneshwar B Patil
Development Commissioner
SEEPZ- SEZ